@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 22.11.2022

थाना सिंधौली पर माल विनिष्टिकरण टीम द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक पंजीकृत हुए अवैध शराब के अभियोगो से 569 अभियोगो की कुल 7660 लीटर अवैध शराब नियमानुसार की गयी नष्ट।

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशनानुसार, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, व श्री पकंज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवांया द्वारा चलाये जा रहे शराब नष्टीकरण के अभियान के क्रम मे थाना सिंधौली द्वारा मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर माल विनिष्टिकरण टीम द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक पंजीकृत हुए अवैध शराब के कुल अभियोगो से 569 अभियोगो की कुल 7660 लीटर अवैध शराब थाना प्रांगण मे खाली जगह मे गड्डा खुदवाकर नियमानुसार नष्ट की गयी । माल नष्टीकरण के दौरान समस्त कार्यवाही की फोटोग्राफी व विडियोग्राफी की गयी।

उपरोक्त सभी अभियोगो में बाद तनकी परीक्षण आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है जिसके सम्बन्ध मे नियमानुसार उपरोक्त अभियोगो से सम्बन्धित अवैध शराब थाना मालखाने में रखी होने के कारण थाना परिसर में दुर्गन्ध आ रही थी तथा उसमें गैस बनने से वातावरण प्रदूषित हो रहा था तथा संक्रमण फैलने की आशंका के दृष्टिगत मालो के नियमानुसार विनिष्टीकरण हेतु प्रभारी निरीक्षक सिंधौली द्वारा मा0 न्याया0 जे0एम0 तृतीय जनपद शाहजहाँपुर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसके अनुक्रम में मा0 न्यायालय जे0एम0 तृतीय जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.11.2022 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था स्पेशल रिट पिटीशन संख्या 2745/ 2020 सुन्दर भाई अम्बालाल देशाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात राज्य 2020 (10)ए0सी0सी0-283 में पारित निर्णय के अनुक्रम में प्रापर्टी निस्तारण के सम्बन्ध में द0प्र0 सं0 की धारा 451/457 के अन्तर्गत दिशा निर्देशों जिनमें आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मालों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उनका निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। सम्बन्धित आदेश प्राप्त होने पर उक्त आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर पर वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक पंजीकृत हुए अवैध शराब के कुल अभियोगो से 569 अभियोगो की कुल 7660 लीटर अवैध शराब का विनिष्टीकरण करने हेतु कमेटी गठित की गयी थी जिसमे 1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण 2. श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर 3. श्रीमान आबकारी निरीक्षक 4. श्रीमान प्रभारी निरीक्षक सिंधौली 5. एचएम श्री मित्रपाल सिंह थाना सिंधौली की मौजूदगी मे उपरोक्त बरामद माल का नियमानुसार विनिष्टीकरण करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ।

श्रीमान जी आज दिनांक 21.11.2022 को मा0 न्यायालय जे0एम0 तृतीय जनपद शाहजहाँपुर के उक्त मालो के विनिष्टीकरण आदेश के अनुपालन मे 1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण 2. श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर 3. श्रीमान आबकारी निरीक्षक 4. श्रीमान प्रभारी निरीक्षक सिंधौली 5. एचएम श्री मित्रपाल सिंह थाना सिंधौली की मौजूदगी मे बरामद शुदा माल मे प्रत्येक ब्राण्ड के एक - एक सैम्पल सुरक्षित रखते हुये उपरोक्त समस्त मालो का नियमानुसार जेसीबी से थाना परिसर के खाली पडे फील्ड में गड्डा खुदवाकर व बरामदा उपकरणो को जेसीबी से क्रश कराकर विनिष्टीकरण किया गया। अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय प्रेषित की जायेगी। जिसका तस्करा थाना सिंधौली पर रो0आम रपट संख्या 46/47/48 समय 17.31 से 17.57 बजे दिनांक 21.11.2022 पर दर्ज किया गया है।

माल नष्टीकरण करने वाली टीम :-

1.श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण

2. श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर

3. श्रीमान आबकारी निरीक्षक
4. श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना सिंधौली
5. श्रीमान प्रभारी निरीक्षक अपराध थाना सिंधौली
6. एचएम श्री मित्रपाल सिंह